

एम/एस. मोदीपोन फाइबर कंपनी, मोदीनगर, उ.प्र.

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ

25 अक्टूबर 2007

[एस. एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

एस.4(4)(डी)(ii) और उसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण सूत- कारोबार कर- कटौती-छूट अधिसूचना के आधार पर, सामान्य क्षेत्र की बिक्री के लिए कारोबार कर की दर 2% थी और पिछड़े क्षेत्र की बिक्री के लिए 0.5% थी -इसके द्वारा की गई दो प्रकार की बिक्री का उल्लेख किए बिना संपूर्ण निकासी के लिए 2% की कटौती का दावा -के लिए पात्रता -धारित: हकदार नहीं -निर्धारिती केवल देय प्रभावी शुल्क की कटौती का हकदार है -चूंकि छूट दी गई है, छूट से कटौती की जानी है यथामूल्य शुल्क-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944-नियम 173-सी-वित्त अधिनियम, 1982-एस.47

धारा 11ए -सूत की निकासी पर शुल्क की मांग - ई अधिसूचना के आधार पर, सामान्य क्षेत्र की बिक्री के लिए कारोबार कर की दर 2% थी और पिछड़े क्षेत्र की बिक्री के लिए 0.5% थी - निर्धारिती ने संपूर्ण निकासी के लिए 2% की कटौती का दावा किया - अंतर शुल्क की मांग मार्च 1994

से मार्च 1997 की अवधि के लिए विभाग द्वारा उठाया गया - सीमा की विस्तारित अवधि - आयोजित का आह्वान: निर्धारिती के दोषी होने के कारण लागू किया जा सकता है इसके द्वारा प्रभावित दो प्रकार की बिक्री को दबाने का एफ-हालाँकि, चूंकि निर्धारिती ने 14.1.1997 को दो प्रकार की बिक्री के बारे में सूचित किया था। विभाग 14.1.1997 के बाद दमन का आरोप नहीं लगा सकता।-अधिसूचना दिनांक 19.10.1993

अपीलकर्ता-निर्धारिती यूपी में अपने कारखाने में नायलॉन और पॉलिएस्टर सूत के निर्माण में लगा हुआ था जिसे सूरत सहित पूरे भारत में स्थित इसके विभिन्न डिपो में भेजा जाता है, जहां से सूत डीलरों को बेचा जाता है। सूरत डिपो को साफ किए गए और भेजे गए सूत के संबंध में, निर्धारिती ने कारोबार टैक्स (कारोबार कर) के कारण 2% की कटौती का दावा किया। यह इस आधार पर था कि गुजरात सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.10.1993 द्वारा एक पंजीकृत डीलर द्वारा एक प्रसंस्कृत सूत के विशेष निर्माता या किसी पात्र इकाई को दर की सीमा तक कारोबार कर का कुल कारोबार का 0.5% से अधिक हो गया, को सभी प्रकार के धागे की बिक्री को छूट दी गई थी

राजस्व ने इस आधार पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.3.1999 जारी किया कि निर्धारिती ने इस तथ्य को छुपाया था कि मार्च 1994 से मार्च 1997 की अवधि के दौरान, दो प्रकार की बिक्री हुई थी, एक पिछड़े

क्षेत्र में,जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था और पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में; निर्धारिती ने अपने सूरत डिपो को भेजे गए नायलॉन सूत की संपूर्ण निकासी के संबंध में 2% की पूरी दर पर कारोबार कर के लिए कटौती का दावा किया था, यह उल्लेख किए बिना कि दिनांक 19.10.1993 की अधिसूचना के कारण गुजरात राज्य में कारोबार कर की दो दरें मौजूद थीं और इसलिए, निर्धारिती ने 0.5% की दर के मुकाबले 2% की उच्च दर पर गलत तरीके से कटौती का दावा किया था; चूंकि निर्धारिती ने मूल्यांकन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए उच्च दर पर कारोबार कर काटा था, इसने मूल्यांकन योग्य मूल्य को 1.5% की सीमा तक कम कर दिया था और, इस प्रकार, निर्धारिती पर अंतर की मांग की गई थी। इस मांग की पुष्टि अधिकारियों ने की। अपील पर, ट्रिब्यूनल ने मांग की पुष्टि की, हालांकि यह पाया गया कि निर्धारिती द्वारा 14.1.1997 को विभाग को सूचित करने के बाद कि दो प्रकार की बिक्री हुई थी, मांग सीमा से परे थी और इसलिए 14.1.1997 के बाद दमन का दावा करना विभाग के लिए खुला नहीं था। निर्धारिती और विभाग दोनों ने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा निर्धारिती और विभाग की अपील खारिज करते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया कि :-

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(4)(डी)(ii) के अनुसार, उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है यदि इसे चालान मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो। स्पष्टीकरण के अनुसार, जो कटौती योग्य है वह शुल्क की प्रभावी दर है। जहां कोई छूट दी गई है, उस छूट को यथामूल्य शुल्क से काटा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह केवल निर्धारित की शुद्ध शुल्क देनदारी है जिसे मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना में काटा जा सकता है। [पैरा 7] [698-ई]

आईडीएल केमिकल्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, [1997] 5 एससीसी 311; एमआरएफ लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, मद्रास, [1997] 5 एससीसी 104; जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, [1994] 4 एससीसी 276; हर्षद शांतिलाल मेहताव. कस्टोडियन और अन्य, [1998] 5 एससीसी 1 और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य. [2004] 7 एससीसी 642, संदर्भित।

2. एस.4(4)(डी)(ii) छूट अधिसूचना के संदर्भ के बिना प्रासंगिक टैरिफ प्रविष्टि के तहत लगाए जाने वाले शुल्क का उल्लेख नहीं करता है जो निकासी/हटाने के समय अस्तित्व में हो सकता है। वित्त अधिनियम, 1982 की धारा 47 जिसमें स्पष्टीकरण शामिल किया गया है, स्पष्ट रूप से बताता है कि "किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क

की राशि" अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। उत्पाद शुल्क की राशि से तात्पर्य अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर देय प्रभावी उत्पाद शुल्क से है और इसलिए, प्रभावी उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना द्वारा कम की गई निर्धारित दर के आधार पर गणना की जाने वाली शुल्क है। इसे अकेले ही धारा 4(4)(डी)(ii) के तहत सामान्य कीमत से बाहर रखा गया है।

3. यह सच है कि एस 4(4)(डी)(ii) का स्पष्टीकरण केवल संदर्भित करता है-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क की राशि, हालांकि, स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एस 4(4)(डी)(ii) में क्या निहित है जो बताता है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में "मूल्य" में ऐसे सामानों पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि शामिल नहीं है। इसलिए, लागू किया जाने वाला परीक्षण "देय शुल्क का वास्तविक मूल्य" है और इसलिए, स्पष्टीकरण उत्पाद शुल्क तक सीमित नहीं है। यह सिद्धांत इसलिए देय कारोबार कर सहित किसी अन्य कर के वास्तविक मूल्य पर भी लागू होता है। स्पष्टीकरण के बिना भी, एस 4(4)(डी)(ii) की योजना से पता चलता है कि मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करने में, देय शुल्क के वास्तविक मूल्य पर जाना होगा और इसलिए, केवल कम शुल्क माल के मूल्य से कटौती योग्य था। यह स्पष्ट है कि जिस तारीख पर जब निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 173-सी के तहत अपनी कीमत घोषणा दाखिल की, तो निर्धारिती को पता था कि गुजरात राज्य में दिनांक

19.10.1993 को एक छूट अधिसूचना थी; कि सूरत में डिपो की बिक्री हुई; बिक्री दो प्रकार की होती थी, अर्थात् पिछड़े क्षेत्र की बिक्री और सामान्य क्षेत्र की बिक्री और पिछड़े क्षेत्र की बिक्री के संबंध में कारोबार कर की दर 0.5% थी जबकि सामान्य क्षेत्र की बिक्री के लिए कारोबार कर की दर 2% थी और फिर भी निर्धारिती ने उपरोक्त डेटा को दबाने के बाद सभी मंजूरी के लिए बोर्ड भर में 2% की दर से कारोबार कर कटौती का दावा किया और इसलिए, विभाग को निर्धारिती को अंतर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिये कहना उचित था।[पैरा12 और 14][701-एफ,जी,एच;702-ए,जी;703-ए]

टॉमको बनाम भारत संघ, (1980) ईएलटी 768 (बॉम्बे); और बी. के. पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य. (1984)18 ईएलटी 701 (बॉम्बे), संदर्भित।

4. प्रत्येक कुशल निर्माता को यह जानने के लिए अपने कार्यों की सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी कि वह किस कच्चे माल का उपयोग करेगा और अपने अंतिम उत्पाद के निर्माण में किस अनुपात में कच्चे माल का उपयोग करेगा। आमतौर पर ऐसे निर्माता ऑर्डर बुक बनाए रखते हैं। एक निर्माता जो विवेकपूर्ण है वह आमतौर पर अनुमान पर काम करेगा कि उसे कितनी छूट मिलने की संभावना है। वर्तमान मामले में, करदाता-निर्माता द्वारा कटौती का दावा किया गया है। ऐसे निर्माता पर उचित रिकॉर्ड

बनाए रखने का बोझ है, क्योंकि नियम 173-सी के तहत उचित मूल्य घोषणा दाखिल करने का बोझ उस पर है। निर्धारिती ने विभाग को उपरोक्त किसी भी विवरण का खुलासा किए बिना उक्त नियम 173-सी के तहत एक घोषणा दायर की है। इसलिए, विभाग न केवल अंतर शुल्क की मांग उठाने में बल्कि सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में भी सही था। [पैरा 15] [703-बी, सी, डी, ई]

5. निर्धारिती के दिनांक 14.1.1997 के पत्र द्वारा विभाग को पहली बार जानकारी प्राप्त होने के बाद कोई दमन नहीं हुआ था और इसलिए, 14.1.1997 के बाद दमन का दावा करना विभाग के लिए खुला नहीं था। इसलिए दमन के सवाल पर ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 18 और 19] [704-ए, बी]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8529-8531/2007

अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपील संख्या ई/487,604-605/2001-ए के केंद्रीय उत्पाद एवं स्वर्ण (नियंत्रण) के विरुद्ध अपील में पारित संख्या 294/01-ए के अंतिम आदेश दिनांक 3.7.2001 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 2008-2010.

सी. ए. सं. 2008-2010/2002 में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के लिए एस. के. बागरिया, रोहिना नाथ, जावेद मुजाफर, रमेश सिंह और उमेश कुमार खेतान।

सी. ए. सं. 8529-8531/2001 में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के लिए डॉ. आर. जी. पाडिया, टी. वी. रत्नम और बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय अभिनिर्धारित किया गया कि :-

कपाडिया, जे. 1. विलंब क्षमा किया गया.

2. ये क्रॉस अपीलें मेसर्स मोदीपोन फाइबर कंपनी और विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एल के तहत सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ("सीईजीएटी") द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.7.2001 के खिलाफ दायर की गई हैं जिसके द्वारा अभिधारित किया है कि निर्धारिती कारोबार टैक्स ("कारोबार कर") के संबंध में केवल 0.5% की कटौती का हकदार था, न कि 2% की, जैसा कि दावा किया गया है।

सिविल अपील संख्या 8529-8531/2001

3. अपीलकर्ता-निर्धारिती नायलॉन और पॉलिएस्टर सूत के निर्माण में लगा हुआ है, जिसका निर्माण यूपी में उसके कारखाने में किया जाता है और सूरत सहित पूरे भारत में स्थित उसके विभिन्न डिपो में भेजा जाता है, जहां से सूत डीलरों को बेचा जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,



1944 ("1944 अधिनियम") की धारा 4 के तहत अनुज्ञेय कटौती का दावा करने के बाद, निर्धारिती डिपो बिक्री मूल्य के आधार पर, सूत को हटाने के समय, संबंधित अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान करता था। ऐसी ही एक कटौती यूपी में निर्धारिती के कारखाने से सूत डिपो को साफ किए गए और भेजे गए सूत के संबंध में कारोबार कर थी। ऐसे प्रेषण के संबंध में, निर्धारिती ने कारोबार कर के कारण 2% की कटौती का दावा किया। यह इस आधार पर था कि गुजरात सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19.10.1993 के माध्यम से एक पंजीकृत डीलर द्वारा प्रसंस्कृत सूत के एक विशेष निर्माता या एक योग्य इकाई को सभी प्रकार के सूत की बिक्री की छूट दी थी, जिस हद तक कारोबार कर की दर अधिक थी कुल कारोबार का 0.5%। यह प्रदान किया गया था कि निर्दिष्ट निर्माता ने बिक्री करने वाले डीलर को फॉर्म 26 में एक प्रमाण पत्र दिया था और यदि संसाधित सूत गुजरात राज्य के भीतर बेचा गया था।

4. 19.3.1999 को, विभाग द्वारा निर्धारिती को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि निर्धारिती ने बिक्री के लिए सूत में अपने डिपो में स्थानांतरित माल के संबंध में नियम 173-सी के तहत अपनी मूल्य घोषणा दायर की थी। वहां से; उक्त मूल्य घोषणा में, निर्धारिती ने किस्म-वार पूर्व-डिपो बिक्री मूल्य, बिक्री कर, माल दुलाई, छूट, कारोबार कर, उत्पाद शुल्क आदि के लिए विभिन्न कटौतियों की राशि का संकेत दिया था; मूल्य घोषणा में,

निर्धारिती ने पूर्व-डिपो बिक्री मूल्य से उपर्युक्त तत्वों को घटाकर प्राप्त मूल्यांकन योग्य मूल्य की भी घोषणा की थी; हालाँकि, मूल्य घोषणा में, निर्धारिती ने विभाग से इस तथ्य को छुपाया था कि बिक्री दो प्रकार की थी, एक गुजरात सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में और दूसरी पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में; निर्धारिती यह घोषित करने में विफल रहा कि मार्च, 1994 से मार्च, 1997 की अवधि के दौरान माल की बिक्री पर 0.5% (पिछड़े क्षेत्रों में बिक्री के लिए) और 2% (अन्य क्षेत्रों में बिक्री के लिए) की दोहरी दर पर कारोबार कर लगाया गया था। पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में) क्रमशः। कारण बताओ नोटिस के अनुसार, निर्धारिती ने मूल्यांकन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए एक्स-डिपो बिक्री मूल्य से 2% पर कारोबार कर के लिए कटौती का दावा किया था; हालांकि बिक्री डिपो से दो अलग-अलग दरों पर हुई, लेकिन निर्धारिती ने गुजरात राज्य में इसका उल्लेख किए बिना अपने सूरत डिपो को भेजे गए नायलॉन सूत की संपूर्ण निकासी के संबंध में 2% की पूरी दर पर कारोबार कर के लिए कटौती का दावा किया। अधिसूचना दिनांक 19.10.1993 में कारोबार कर की दो दरें मौजूद थीं और इसलिए, कारण बताओ नोटिस के अनुसार, निर्धारिती ने 0.5% की दर के मुकाबले 2% की उच्च दर पर गलत तरीके से कटौती का दावा किया था। कारण बताओ नोटिस के अनुसार, चूंकि निर्धारिती ने मूल्यांकन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए उच्च दर पर कारोबार कर काटा था, इसने मूल्यांकन योग्य मूल्य को 1.5% की सीमा तक कम कर दिया

था और, इस प्रकार, निर्धारिती पर अंतर की मांग की गई थी। कारण बताओ नोटिस के अनुसार, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, सामान्य क्षेत्र की बिक्री और पिछड़े क्षेत्र की बिक्री के संबंध में अलग-अलग मूल्यांकन योग्य मूल्य होने चाहिए थे, खासकर जब कारोबार कर की दर दो प्रकार की बिक्री के लिए अलग-अलग थी; कि सामान्य क्षेत्रों की बिक्री के मामले में, मूल्यांकन योग्य मूल्य कारोबार कर के कारण 2% की कटौती की अनुमति पर आ जाना चाहिए था और पिछड़े क्षेत्रों की बिक्री के मामले में, मूल्यांकन योग्य मूल्य 0.5% की कटौती पर आ जाना चाहिए था कारोबार कर का खाता. हालाँकि, विभाग के अनुसार, निर्धारिती द्वारा दायर मूल्य घोषणा में, निर्धारिती ने संपूर्ण निकासी के संबंध में कारोबार कर के कारण 2% की कटौती का दावा किया है और इस प्रकार, विभाग के अनुसार, निर्धारिती ने गलत तरीके से बड़ी कटौती का दावा किया था। जितना वह हकदार था उससे कहीं अधिक। अतः कारण बताओ नोटिस के अनुसार, वास्तव में भुगतान की गई कारोबार कर की राशि के बीच का अंतर मूल्यांकन योग्य मूल्य का हिस्सा होना चाहिए था और तदनुसार, विभाग ने निर्धारिती को अंतर मूल्य पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा था। विभाग के अनुसार, निर्धारिती ने कारोबार कर के कारण गलत तरीके से कटौती का दावा किया था; कि निर्धारिती ने पूरी मंजूरी पर 2% की गलत कटौती का दावा किया था; निर्धारिती ने मूल्य घोषणा में कारोबार कर के कारण 2% की कटौती का दावा किया था, जबकि उसने वास्तव में पिछड़े क्षेत्र की

बिक्री के संबंध में 0.5% की दर से कारोबार कर का भुगतान किया था और उस सीमा तक, निर्धारिती ने गलत तरीके से अतिरिक्त राशि का दावा करके उत्पाद शुल्क की चोरी की थी। कारोबार कर के कारण वास्तव में भुगतान की गई राशि की तुलना में कटौती की राशि पर कटौती। इस मांग की पुष्टि सभी अधिकारियों ने की है। इसलिए, ये सिविल अपीलें हैं।

5. निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एसके बागरिया ने प्रस्तुत किया कि धारा 4(4)(डी)(ii) में "देय" शब्द शुल्क वसूलने का एक कार्य है। यदि कोई शुल्क है, तो भुगतान देयता मौजूद है। यदि कोई आरोप है, तो दायित्व मौजूद है। कि, शुल्क लगाना विधायी कार्य है। पहला चरण दायित्व है, जबकि दूसरा चरण है कर कब बनता है। मूल्यांकन पूरा होने पर, कर देय हो जाता है। इस तरह के मूल्यांकन तक, देनदारी मौजूद हो सकती है लेकिन मात्रा निर्धारण होने तक कर देय नहीं होता है। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 4(4)(डी)(ii) में अभिव्यक्ति "देय" "समय संबंधी अवधारणा" है क्योंकि मूल्यांकन योग्य मूल्य निकासी/हटाने के समय निर्धारित किया जाना है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, इसलिए, धारा 4(4)(डी)(ii) में "देय" शब्द को एक काल्पनिक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, मूल्यांकन योग्य मूल्य प्रभार्यता से संबंधित मामला है। कि, मूल्यांकन की जाने वाली देनदारी देयता के समान नहीं है क्योंकि 1944 अधिनियम के तहत, "देयता" का निर्णय माल की निकासी के समय किया जाना है और इसलिए, पूर्व-डिपो

मूल्य से, निर्धारिती को धारा के तहत कटौती करने की आवश्यकता थी 4(2) परिवहन की लागत के साथ-साथ धारा 4(4)(डी)(ii) में उल्लिखित तत्व. विद्वान वकील के अनुसार, माल की निकासी की तारीख पर, निर्धारिती के लिए यह कल्पना करना संभव नहीं था कि कितनी बिक्री सामान्य क्षेत्र की बिक्री होगी और कितनी बिक्री पिछड़े क्षेत्र की बिक्री होगी क्योंकि यह पात्रता पर निर्भर करता है। विशेष निर्माता। विद्वान वकील के अनुसार, निकासी की तारीख पर, निर्धारिती को केवल इस तथ्य के बारे में पता था कि कारोबार टैक्स 2% था। इसलिए, कोई गलत घोषणा नहीं हुई जैसा कि विभाग ने आरोप लगाया है। विद्वान वकील के अनुसार, निर्धारिती विभिन्न प्रकार के धागों का निर्माण करता था। करदाता की फैक्ट्री यूपी में थी। सूत की इन विभिन्न किस्मों को यूपी में कारखाने से पूरे भारत में निर्धारिती के विभिन्न बिक्री डिपो में भेजा गया था। करदाता का ऐसा एक बिक्री डिपो सूरत में था। विद्वान वकील ने बताया कि छूट अधिसूचना के तहत पिछड़े क्षेत्रों में बिक्री कुछ पात्रता मानदंडों और 1993 में गुजरात सरकार द्वारा जारी छूट अधिसूचना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन थी। विद्वान वकील के अनुसार, निर्धारिती के लिए यह असंभव था भविष्य में सूरत में कितने डीलर छूट अधिसूचना के लाभ के हकदार होंगे, इसकी कल्पना की गई है, खासकर उस समय जब यूपी में निर्धारिती के कारखाने के गेट पर सूत को मंजूरी दे दी गई थी और इसलिए, निर्धारिती के अनुसार, की पात्रता सूरत में डीलर, जो कारोबार कर का भुगतान करने

के लिए उत्तरदायी थे, ने निकासी के बाद की घटना का गठन किया। विद्वान वकील के अनुसार, मंजूरी के बाद की ऐसी घटनाएँ धारणाएँ हैं; उत्पाद शुल्क की प्रभार्यता ऐसी धारणाओं पर निर्भर नहीं हो सकती; वह देनदारी मूल्यांकन पर निर्भर नहीं थी क्योंकि यह पूर्व-परिकल्पना तय की गई थी और परिणामस्वरूप, विद्वान वकील के अनुसार, निर्धारिती 2% पर कारोबार कर के कारण कटौती का दावा करने में सही था क्योंकि वह एकमात्र दर थी जो उस तारीख को मौजूद थी फ़ैक्ट्री गेट पर माल साफ कर दिया गया। विद्वान वकील के अनुसार, नियम 173-सी के तहत मूल्य घोषणा दाखिल करते समय, निर्धारिती के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि अंततः कारोबार कर 2% या 0.5% पर देय होगा और इसलिए, निर्धारिती को उचित ठहराया गया था। निर्धारित टैरिफ दर पर 2% पर कारोबार कर की कटौती का दावा करना। विद्वान वकील के अनुसार, 0.5% रियायती दर थी जो शर्तों और पात्रता मानदंडों की पूर्ति पर निर्भर करती थी और इसलिए, निर्धारिती के लिए यह कल्पना करना संभव नहीं था कि अंततः कारोबार कर 2% पर देय होगा या 0.5% पर। विद्वान वकील के अनुसार, 1944 अधिनियम की धारा 4 "देय" कर की कटौती का प्रावधान करती है और चूंकि कारोबार कर सामान्य रूप से 2% की निर्धारित दर पर देय था, इसलिए निर्धारिती को सामान्य मूल्य से 2% की दर से कारोबार कर की कटौती करना उचित था। फ़ैक्ट्री गेट (हटाने की जगह) पर मूल्यांकन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए। निर्धारिती के विद्वान वकील के

अनुसार, धारा 4(4)(डी)(ii) के संदर्भ में और उसके स्पष्टीकरण में, माल पर देय "प्रभावी उत्पाद शुल्क" की अवधारणा केवल उत्पाद शुल्क तक ही सीमित थी। इसे देय बिक्री कर/कारोबार कर तक नहीं बढ़ाया गया था और इसलिए, निर्धारण योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए निर्धारिती को सूत की सामान्य कीमत से 2% की सामान्य निर्धारित टैरिफ दर पर गुजरात राज्य में देय कारोबार कर की कटौती करना उचित था। दिनांक 19.10.1993 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित कारोबार कर की रियायती दर 0.5% की कटौती करने के बजाय, जिसने गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में व्याख्याता को 2% कारोबार कर का भुगतान करने से छूट दी और इसके बजाय 0.5% की दर से कारोबार कर के भुगतान का प्रावधान किया। विद्वान वकील के अनुसार, उपरोक्त परिस्थितियों में, बिक्री के समय, निर्धारिती को पता नहीं था कि अंततः कारोबार कर 2% पर देय होगा या 0.5% पर, इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि निर्धारिती का दावा करना उचित था कारोबार कर के लिए सामान्य कीमत से 2% की कटौती। इस संबंध में, विद्वान वकील ने आईडीएल केमिकल्स लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज (1997) 5 एससीसी 311 में रिपोर्ट किए गए मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया ; एमआरएफ लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास (1997) 5 एससीसी 104 में रिपोर्ट किया गया; जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1994) 4 एससीसी 276 में रिपोर्ट किया गया; हर्षद शांतिलाल मेहता

बनाम संरक्षक और अन्य । (1998) 5 एससीसी 1 और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य में रिपोर्ट किया गया । (2004) 7 एससीसी 642 में रिपोर्ट किया गया।

6. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. आर.जी पाडिया ने प्रस्तुत किया कि जिस तारीख को निर्धारिती ने नियम 173-सी के तहत मूल्य घोषणा दायर की थी, उस दिन निर्धारिती को गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.10.1993 के बारे में पता था। निर्धारिती को यह भी पता था कि मूल्य घोषणा दाखिल करने की तारीख पर पिछड़े क्षेत्र की बिक्री और सामान्य क्षेत्र की बिक्री मौजूद थी; निर्धारिती ने विभाग को कभी सूचित नहीं किया था कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 19.10.1993 के तहत दो अलग-अलग दरें प्रचलित थीं; यदि निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई कारोबार कर की राशि एक्स-फैक्ट्री मंजूरी के समय कारोबार कर कटौती के रूप में दावा की गई राशि से कम थी, तो निर्धारिती को अंतर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना चाहिए था, लेकिन निर्धारिती ने विभाग को कभी नहीं बताया कि यह दो प्रकार का होता है। बिक्री, अर्थात्, पिछड़े क्षेत्र की बिक्री और सामान्य क्षेत्र की बिक्री और न ही निर्धारिती ने विभाग को उसके द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए कारोबार कर के बारे में सूचित किया और इसलिए, मार्च, 1994 की अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.3.1999 की पुष्टि करने में विभाग मार्च, 1997 तक सही था.



7. जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है वह धारा 4(4)(डी)(ii) में "देय" शब्द का अर्थ है। उक्त शब्द वर्णनात्मक है। किसी को उस संदर्भ को देखना होगा जिसमें उक्त शब्द को पूर्वोक्त धारा 4(4)(d)(ii) में जगह मिलती है। हम यहां नीचे धारा 4(4)(डी)(ii) उद्धृत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है:

"4. उत्पाद शुल्क वसूलने के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन।-

(1) से (3) xxx xxx xxx

(4) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, -

(ए) से (सी) xxx xxx xxx

(डी) किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में "मूल्य", -

(i) xxx xxx xxx

(ii) ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है और, ऐसे नियमों के अधीन, व्यापार छूट (ऐसी छूट किसी भी खाते पर वापस नहीं की जा सकती) शामिल नहीं है जो भी हो) बेची गई या बिक्री के लिए अनुबंधित ऐसी वस्तुओं के संबंध में हटाने के समय थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार अनुमति दी गई है।

स्पष्टीकरण.- इस उप के प्रयोजनों के लिए-

खंड, किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु पर देय उत्पाद शुल्क की राशि का कुल योग होगा

(ए) इस अधिनियम के तहत ऐसे माल पर देय प्रभावी उत्पाद शुल्क; और

(बी) अन्य केंद्रीय अधिनियमों के तहत देय प्रभावी उत्पाद शुल्क का योग , यदि कोई हो, ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए प्रदान करता है, और प्रत्येक अधिनियम के तहत ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क का प्रभावी शुल्क खंड में निर्दिष्ट है (ए) या खंड (बी) होगा, -

(i) ऐसे मामले में जहां कोई अधिसूचना या आदेश किसी भी छूट के लिए प्रदान करता है (ऐसे अधिनियम के तहत ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क के संबंध में क्रेडिट देने या कटौती करने के लिए छूट नहीं है, ऐसे अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के बराबर, या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत अतिरिक्त शुल्क, ऐसे माल के निर्माण के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल या घटक भागों पर पहले से ही भुगतान किया गया है) ऐसे अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क से समय के साथ, ऐसे सामानों के संबंध में उत्पाद

शुल्क की गणना ऐसे अधिनियम में निर्दिष्ट दर के संदर्भ में की जाती है, ताकि ऐसी छूट को पूर्ण और पूर्ण प्रभाव दिया जा सके; और

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसे माल के संबंध में उत्पाद शुल्क की गणना ऐसे अधिनियम में निर्दिष्ट दर के संदर्भ में की जाती है।"

(जोर दिया गया) जैसा कि ऊपर उद्धृत अनुभाग से देखा जा सकता है, उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है यदि इसे चालान मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो। स्पष्टीकरण के अनुसार, जो कटौती योग्य है वह शुल्क की प्रभावी दर है। जहां कोई छूट दी गई है, उस छूट को यथामूल्य शुल्क से काटा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह केवल निर्धारित की शुद्ध शुल्क देनदारी है जिसे मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना में काटा जा सकता है। उक्त सिद्धांत स्पष्टीकरण में शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि निर्धारित टैरिफ दर पर शुल्क की वसूली करता है, लेकिन स्वीकारोक्ति दर पर शुल्क का भुगतान करता है, तो उत्पाद शुल्क को मूल्यांकन योग्य मूल्य का एक हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह, उत्पाद शुल्क की वापसी को शुद्ध लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे मंजूरी के मूल्य में जोड़ा जा सकता है। 1944 अधिनियम की धारा 4 में रिफंड को मूल्यांकन योग्य मूल्य का हिस्सा मानने का कोई प्रावधान नहीं

है । यदि सरकार को भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क ग्राहकों से वास्तविक मूल्य पर एकत्र किया जाता है और यदि, बाद में, छूट उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसा उत्पाद शुल्क जो निर्धारिती को नहीं दिया जाता है, धारा 4(4)(डी)(ii) के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य का हिस्सा बन जाएगा ।

8. 1980 ईएलटी 768 (बीओएम) में रिपोर्ट किए गए टॉमको बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारिती 'पकाव' नामक सब्जी उत्पाद के निर्माता थे। कीमतें नियंत्रक द्वारा तय की गईं, जिन्होंने सब्जी नियंत्रण आदेश, 1947 के तहत वैधानिक रूप से कीमतें तय कीं। ये कीमतें मार्च, 1969 से दिसंबर, 1969 की अवधि के दौरान किसी भी कर को छोड़कर, नियंत्रक द्वारा तय की गईं। नियंत्रक ने उस पर देय उत्पाद शुल्क का तत्व शामिल किया। टॉमको ने तर्क दिया कि वह अधिसूचना संख्या 6/62-सीई दिनांक 10.2.1962 के आधार पर शुल्क में छूट का दावा करने का हकदार था। टॉमको ने आगे तर्क दिया कि, वह नियंत्रक द्वारा निर्धारित मूल्य से 5% शुल्क के तत्व को काटने के बाद मूल्यांकन योग्य मूल्य की घोषणा कर रहा था और इसलिए, बिक्री मूल्य से 5% यथामूल्य पर देय शुल्क में कटौती करने का हकदार था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि टॉमको ने उपरोक्त अधिसूचना के तहत देय शुल्क पर नियंत्रक द्वारा निर्धारित मूल्य से 5% की कटौती दिखाई है, जबकि विभाग के अनुसार, मूल्यांकन योग्य मूल्य पर पहुंचने का सही तरीका ("a.v.") बिक्री मूल्य से अधिसूचना के तहत देय शुल्क नहीं बल्कि छूट के बाद वास्तव में देय

शुल्क की कटौती की जानी थी, जिसका निर्धारिती कपास के बीज के तेल की मात्रा के कारण हकदार था। दूसरे शब्दों में, विभाग के अनुसार, सही एवी पर पहुंचने के लिए छूट का शुल्क तत्व बिक्री मूल्य से कटौती के लिए भी स्वीकार्य था। यह विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष था। इसलिए, मुख्य मुद्दा, जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठा, वह यह था कि क्या टोमको 5% यथामूल्य की कटौती का हकदार था या क्या वह 5% यथामूल्य की कटौती का हकदार था, जिसमें वह छूट थी जो वह छूट अधिसूचना संख्या के तहत प्राप्त करने का हकदार था। 6/62-सीई दिनांक 10.2.1962. टोमको के अनुसार, 6 पैसे की छूट उन निर्माताओं के लिए स्वीकार्य थी, जो वनस्पति उत्पाद, अर्थात् पकाव (घी) के निर्माण में स्वदेशी कपास के बीज के तेल का उपयोग करते थे, और इसलिए, टोमको के अनुसार, रबेट/छूट के तहत क्या दिया गया था उपरोक्त अधिसूचना उत्पाद शुल्क से कटौती योग्य नहीं थी। संक्षेप में, वर्तमान मामले की तरह, टोमको ने 5% की उच्च कटौती का दावा किया, जबकि विभाग ने तर्क दिया कि निर्धारिती 5% घटा 6 पैसे (छूट) की कटौती का हकदार था। टोमको की ओर से, जैसा कि वर्तमान मामले में है, यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना के तहत एक निर्माता को पकाव के निर्माण में कपास के बीज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से छूट दी गई थी। शुल्क में छूट कोई सामान्य छूट नहीं थी। यह छूट केवल कुछ शर्तों को पूरा करने वाले निर्माता को ही स्वीकार्य थी। इसलिए, वर्तमान मामले में स्थिति, और

टॉमको के मामले में प्रचलित स्थिति समान थी। वर्तमान मामले में भी कारोबार कर कटौती केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही उपलब्ध थी। टॉमको के तर्कों को खारिज करते हुए,

9. इस स्तर पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि जब 24.7.1980 को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा टॉमको मामले का फैसला किया गया था, तब प्रासंगिक समय पर विचारों में विरोधाभास था। टकराव से बचने के लिए ही विधानमंडल ने 1944 के अधिनियम की धारा 4(4)(डी)(ii) में "इस अधिनियम के तहत माल पर देय प्रभावी उत्पाद शुल्क" शब्दों का उपयोग करके उपरोक्त स्पष्टीकरण डाला।

10. बी.के. पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। 1984 (18) ईएलटी 701 (बीओएम) में रिपोर्ट की गई, निर्धारिती बॉम्बे में अपने कारखाने में विभिन्न प्रकार के कागजात का निर्माता था। निर्धारिती द्वारा निर्मित कागजों पर 1944 अधिनियम की पहली अनुसूची (जैसा कि तब था) के टैरिफ आइटम 17 के तहत उसमें निर्दिष्ट दर पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था। अधिसूचना संख्या 45/73 दिनांक 1.3.1973 के तहत निर्धारिती (निर्माता) द्वारा स्वीकृत कुछ प्रकार के कागजात के संबंध में अधिसूचना में उल्लेखित सीमा तक उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। चालान तैयार करने में, निर्धारितियों ने अपने ग्राहकों को छूट अधिसूचना का लाभ नहीं दिया।

निर्धारितियों ने तर्क दिया कि उत्पाद शुल्क में छूट वास्तव में एक सब्सिडी थी और इसलिए, उन्हें अपने ग्राहकों को छूट का लाभ देने की आवश्यकता नहीं थी। करदाताओं ने नियम 173-सी के तहत जुलाई, 1976 से जुलाई, 1979 की अवधि के लिए अपनी मूल्य सूची दाखिल की। विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि निर्धारित रियायती दर पर शुल्क का भुगतान कर रहे थे, जबकि वास्तव में, वे अपने खरीदारों से शुल्क की पूरी टैरिफ दर वसूल रहे थे और इसलिए, वे संशोधित पर गणना की गई अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ए.वी. 1944 अधिनियम की धारा 4 लागू करके विभाग ने ए.वी. को सामान्य मूल्य से देय शुल्क के वास्तविक मूल्य में कटौती करके निर्धारित करने का निर्देश दिया। इस निर्धारण को निर्धारित द्वारा चुनौती दी गई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, सुजाता वी. मनोहर, जे. के माध्यम से बोलते हुए, जैसा कि वह तब थीं, पैरा 25 के माध्यम से कहा कि 1944 अधिनियम की धारा 4(4)(डी)(ii) के प्रावधानों और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि केवल शुल्क की कम दर को माल के मूल्य से बाहर रखा गया था। स्पष्टीकरण में धारा 4(4)(डी)(ii) में कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ा गया क्योंकि यह केवल यह बताता है कि उस धारा में क्या निहित था।

11. हमारे विचार में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णय धारा 4(4)(डी)(ii) के स्पष्टीकरण में अंतर्निहित सही सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं

। जैसा कि टॉमको के मामले (सुप्रा) में माना गया था, छूट निर्माता-निर्धारिती के लिए अप्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं थी, बल्कि पकाव के निर्माण में टॉमको द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपास के बीज के तेल के कारण थी। इसी तरह, बी.के. पेपर मिल्स (सुप्रा) के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण के साथ धारा 4(4)(डी)(ii) का सही विश्लेषण किया है कि केवल शुल्क की कम दर को मूल्य से बाहर रखा जा सकता है। सामान और वह स्पष्टीकरण बताता है कि उस धारा में क्या निहित था कि, उक्त धारा 4(4)(डी)(ii) में छूट अधिसूचना के संदर्भ के बिना प्रासंगिक टैरिफ प्रविष्टि के तहत लगाए जाने वाले शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है जो निकासी/हटाने के समय अस्तित्व में हो सकता है। वित्त अधिनियम, 1982 की धारा 47 जिसमें स्पष्टीकरण शामिल किया गया है, स्पष्ट रूप से बताती है कि "किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क की राशि" अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। उत्पाद शुल्क की राशि से तात्पर्य अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर देय प्रभावी उत्पाद शुल्क से है और इसलिए, प्रभावी उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना द्वारा कम की गई निर्धारित दर के आधार पर गणना की जाने वाली शुल्क है। इसे अकेले धारा 4(4)(डी)(ii) के तहत सामान्य कीमत से बाहर रखा गया है।

12. यह सच है कि धारा 4(4)(डी)(ii) का स्पष्टीकरण केवल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क की राशि को संदर्भित करता है, हालांकि, जैसा कि बीके पेपर मिल्स के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना



था। (सुप्रा), स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बताता है कि धारा 4(4)(डी)(ii) में क्या निहित है, जिसमें कहा गया है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में "मूल्य" में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि शामिल नहीं है। यदि ऐसे माल पर देय हो। इसलिए, लागू किया जाने वाला परीक्षण "देय शुल्क का वास्तविक मूल्य" है और इसलिए, निर्धारिती की ओर से दिए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि स्पष्टीकरण उत्पाद शुल्क तक ही सीमित है। इसलिए यह सिद्धांत देय कारोबार कर सहित किसी अन्य कर के वास्तविक मूल्य पर भी लागू हो सकता है। स्पष्टीकरण के बिना भी, धारा 4(4)(डी)(ii) की योजना से पता चलता है कि मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करने में, देय शुल्क के वास्तविक मूल्य पर जाना होगा और इसलिए, केवल कम शुल्क से कटौती की जाएगी माल का मूल्य.

13. सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला भी इसी आशय का है। बनाम भारत संघ और अन्य । 1987 (30) ईएलटी 217 (बीओएम) में रिपोर्ट किया गया। हम यहां उक्त निर्णय के पैरा 7 को उद्धृत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है:

"यह सच है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4(4) (डी)(ii) के अनुसार, मूल्य में ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क की राशि शामिल नहीं है, लेकिन धारा के स्पष्टीकरण के मद्देनजर

4(4)(डी)(ii), 'उत्पाद शुल्क' का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 के तहत जारी छूट अधिसूचना के साथ पढ़े जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के संदर्भ में देय शुल्क है। मामले के इस दृष्टिकोण में, केवल कटौती जो स्वीकार्य है वह मूल्यांकन योग्य मूल्य तय करते समय भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क का है। इस प्रकार जहां कंपनी/निर्माता जिसका माल छूट अधिसूचना के परिणामस्वरूप कम दर पर उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी था, जबकि एकत्र की गई कम दर पर शुल्क का भुगतान करता है अपने ग्राहकों से उच्च दर यानी टैरिफ दर पर शुल्क, अधिकारियों को यह मानना उचित था कि कंपनी द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में जो एकत्र किया जा रहा था, वह उत्पाद शुल्क नहीं था, बल्कि माल का वास्तविक मूल्य था और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा एकत्र किया गया अतिरिक्त मूल्य था। ग्राहकों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए के तहत वसूली योग्य थी।"

14. उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि जिस तारीख को निर्धारिती ने नियम 173-सी के तहत अपनी कीमत घोषणा दायर की थी, उस दिन निर्धारिती को पता था कि राज्य में दिनांक 19.10.1993 की एक छूट अधिसूचना थी गुजरात का; कि सूरत में डिपो की बिक्री हुई; कि बिक्री दो प्रकार की थी, अर्थात् पिछड़े क्षेत्र

की बिक्री और सामान्य क्षेत्र की बिक्री और पिछड़े क्षेत्र की बिक्री के संबंध में कारोबार कर की दर 0.5% थी जबकि सामान्य क्षेत्र की बिक्री के लिए कारोबार कर की दर 2% थी और फिर भी निर्धारिती के बाद उपरोक्त डेटा को दबाने से सभी मंजूरी के लिए बोर्ड भर में 2% की दर से कारोबार कर कटौती का दावा किया गया और इसलिए, विभाग को निर्धारिती को अंतर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाना उचित था। हम तदनुसार मांग की पुष्टि करते हैं।

15. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक कुशल निर्माता को यह जानने के लिए अपने कार्यों की योजना काफी सावधानी से बनानी होगी कि वह अपने अंतिम उत्पाद के निर्माण में किस कच्चे माल का उपयोग करेगा और किस अनुपात में कच्चे माल का उपयोग करेगा। आम तौर पर, ऐसे निर्माता ऑर्डर बुक कहलाते हैं। एक निर्माता जो विवेकपूर्ण है, वह आमतौर पर अनुमान पर काम करेगा कि उसे कितनी छूट मिलने की संभावना है, किस स्थिति में, विद्वान वकील ने जिस अनिश्चितता का संदर्भ दिया है वह वास्तव में शायद ही उत्पन्न होगी। वर्तमान मामले में, हम कटौती की राशि को लेकर चिंतित हैं। उस कटौती का दावा निर्धारिती-निर्माता (अपीलकर्ता) द्वारा किया गया है। ऐसे निर्माता पर उचित रिकॉर्ड बनाए रखने का बोझ है, क्योंकि नियम 173-सी के तहत उचित मूल्य घोषणा दाखिल करने का बोझ उस पर है। कटौती का दावा करने का बोझ निर्माता पर है। वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने

विभाग को किसी भी पूर्वोक्त विवरण का खुलासा किए बिना उक्त नियम 173-सी के तहत एक घोषणा दायर की है। इसलिए, हमारा विचार है कि विभाग न केवल अंतर शुल्क की मांग उठाने में बल्कि सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में भी सही था।

16. उपरोक्त कारणों से, हमें इन सिविल अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार इन्हें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

2002 की सिविल अपील संख्या 2008-2010

17. सीईजीएटी ("ट्रिब्यूनल") द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.7.2001 के खिलाफ विभाग द्वारा सिविल अपीलों का यह बैच दायर किया गया है, जिसके पक्ष में 2001 की सिविल अपील संख्या 8529-8531 में हमारे उपरोक्त फैसले से आदेश की पुष्टि होती है। विभाग।

18. आक्षेपित आदेश द्वारा, ट्रिब्यूनल ने मार्च, 1994 से मार्च, 1997 की अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.3.1999 के माध्यम से निर्धारिती पर की गई मांग की पुष्टि की है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि विभाग द्वारा की गई मांग परे थी निर्धारण के बाद सीमा ने विभाग को पत्र दिनांक 14.1.1997 के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि बिक्री दो प्रकार की होती है, अर्थात् पिछड़े क्षेत्र की बिक्री और सामान्य क्षेत्र की बिक्री। ट्रिब्यूनल के अनुसार, इसलिए, विभाग द्वारा पहली बार निर्धारिती के

पत्र दिनांक 14.1.1997 के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई दमन नहीं हुआ था और इसलिए, विभाग 14.1.1997 के बाद दमन का दावा करने के लिए खुला नहीं था।

19. दमन के प्रश्न पर ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हमें कोई कारण नहीं दिखता।

20. तदनुसार, निर्धारिती द्वारा दायर 2001 की सिविल अपील संख्या 8529-8531 और विभाग द्वारा दायर 2002 की क्रॉस सिविल अपील संख्या 2008-2010 को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया है।

अपील खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।